128

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

अपील प्रकरण कमाक /2016 जवलपुर

हरप्रसाद गोंड पुत्र स्व श्री छोटेलाल गौंड निवासी मकान नं. 110 , सिवनीटोला तहसील व जिला जवलपुर म.प्र. । .....अपीलार्थी

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर ।
2. राकेश अवस्थी पुत्र श्री शिवरतन अवस्थी निवासी 1591 गंगानगर मडफैया गढा वार्ड तहसील व जिला जवलपुर म.प्र. ।

.....प्रत्यार्थीगण

न्यायालय कलेक्टर , जिला जवलपुर द्वारा प्रकरण क 427/अ–21/2013–2014 मे पारित आदेश दिनांक 19.10.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता 1959 की धारा 44 के अधीन अपील ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे अपीलार्थी की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एंव विधि के उपवन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाथी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्रम मुकनवारा प0ह0नं0 33 रा0नि0मं0 बरगी तहसील व जिला जवलपुर स्थिति भूमि खसरा नं. 136/1 रकवा कमशः 0.450 हेक्टे.(1.11 एकड) अपीलार्थी की स्वयं की निजी कृर्षि भूमि है जो भूमि कम उपजाउ है जिससे उसमे फसल पैदा नही हो पाती ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि को विकय कर वह बच्चो की शिक्षा के लिये भूमि को विकय किये जाने की अनुमति चाही गई है जो विकय हेतु प्रर्याप्त रूप से कारण है। इस हेतु प्रत्यर्थी से अनुवंध किया है ऐसी स्थिति मे उसे भूमि विकय की अनुमति दी जावे ।
3. यहकि, अपीलार्थी के पास उक्त भूमि विकय करने के वाद भी अपीलार्थी के पास 2.65 हेक्टे. भूमि शेष बचना वताया गया है। एंव ग्रम सिवनीटोला मे साढे छः एकड सिंचित भूमि शेष बच रही हैं जिससे उसका जीवन यापन अच्छी तरह से हो सकता है।
4. यहकि, माननीय श्रीमान न्ययालय द्वारा भी कई प्रकरणो मे उक्त भूमि विकय करने की अनुमति प्रदान की है इसलिये समान प्रकृति व समान नेचर का होने से उक्त भूमि

[redacted] राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

[illegible] बोंड पुत्र छोटेलाल सिल्वीटोला विरुद्ध म0प्र0शासन

प्रकरण क्रमांक 569 - एक/ 2016 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभि.के हस्ता
19-2-16	यह अपील कलेक्टर जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक ४२७/ अ-२१/ २०१३-१४ में पारित आदेश दिनांक १९-१०-२०१५ के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ४४ के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। २/ अपीलांट के अभिभाषक ने बताया कि अपीलांट ने उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक १३६/१ रकबा ०.४५० हैक्टर स्थित ग्राम मुकनवारा तहसील जबलपुर के विकय की अनुमति इसलिये मांगी है कि यह भूमि कम उपजाउ एंव कम पैदावार देने वाली है । अपीलांट को बच्चों की शिक्षा के लिये रूपयों की आवश्यकता है जिसके कारण इस भूमि को वह विकय करना चाहता है। उन्होंने अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की। 3/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदक ने कलेक्टर छतरपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके भूमिस्वामी स्वत्व की सर्वे कमांक १३६/१ रकबा ०.४५० हैक्टर के विकय किये जाने की मांग इस आधार पर की है कि इस भूमि को विकय करने का अनुबन्ध उसने रिस्पा० कमांक २ से किया है जो उसे उचित मूल्य देकर भूमि कय कर रहे है इसी आशय का अनुबंध पत्र भी विकय अनुमति आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है। कलेक्टर जबलपुर ने विकय अनुमति आवेदन की जांच अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर से कराई है। तहसीलदार जबलपुर बरगी वृत्त ने जांच कर प्रतिवेदन दिनांक २६-८-१५ प्रस्तुत किया है जिसमें बताया गया है कि	

प्र. 560-I/16 (जबलपुर)

अपीलांट सिवनी टोला ग्राम मुकनवारा का निवासी है एंव भूमि असिंचित होकर २,२५,०००/-रू. कीमत की है भूमि विक्रय करने पर उसे पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त हो रहा है इसी ग्राम में उसके पास २.६५० हैक्टर भूमि और है वह अपने बच्चों की शिक्षा के लिये भूमि विक्रय कर रहा है। यदि भूमि विक्रय की अनुमति मिलती है तब भूमि विक्रय करने के उपरांत भी उसके पास २.६५० हैक्टर भूमि जीवनयापन हेतु शेष बचेगी। सन २०१४-१५ के खसरे की प्रतिलिपि अनुसार अपीलांट के नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है एंव खसरे में विक्रय से प्रतिबन्धित भी नही लिखा है। अपीलांट के अभिभाषक के अनुसार भूमि एकफसली होकर कम उपजाउ है भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व पर स्वअर्जित है किन्तु वह विक्रय अनुमति अनुसूचिज जनजाति का होने के कारण मांग रहा है।

४/ अपीलांट के नाम भूमिस्वामी स्वत्व की सर्वे कमांक १३६/१ रकबा ०.४५० हैक्टर ग्राम मुकनवारा भूमि स्वामी स्वत्व पर अभिलेख में अंकित है प्रत्येक भूमिस्वामी यदि उसे पटटा प्राप्त भी हुआ है, १० वर्ष तक पटटे की शर्तो का पालन कर लेने के वाद भूमिस्वामी होने पर वह भूमि का प्रत्येक प्रकार के उपभोग करने के लिये स्वतंत्र होता है जबकि ग्राम मुकनवारा स्थित अपीलांट के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक १३६/१ रकबा ०.४५० हैक्टर पटटे की भूमि नही होना एंव स्वअर्जित होने का तथ्य बहस के दौरान बताया गया है जिसके कारण ऐसी भूमि के विक्रय की अनुमति दिये जाने में बैधानिक अड़चन नहीं है।

५/ उपरोक्त विवेचना-स्वरूप अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक ४२७/ अ-२१/ २०१३-१४ में पारित आदेश दिनांक १९-१०-२०१५ त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अपीलांट को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम मुकनवारा स्थित भूमि सर्वे कमांक १३६/१ रकबा ०.४५० हैक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यदि प्रस्तावित केता चालू वर्ष की गाईड लायन के मान से भूमि का मूल्य देने तैयार हो।

Xxxix(a)-BR(H)-11 **राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर**

कूरप्रसाद गोंड पुत्र छोटेलाल सिवनीटोला विरूद्ध म0प्र0शासन

प्रकरण कमांक 560 – एक/ 2016 **जिला जबलपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभि.के हस्ता
	2. विकय पत्र प्रस्तुत करने पर विकय धन विकेता व्दारा अपीलांट्स के नाम पंजीयन दिनांक को जमा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक वाद–विचारित भूमि का विकय पत्र पंजीयत करेंगे। 3. भूमि के विकय पत्र का निष्पादन इस आदेश से तीन माह की समयावधि में करना अनिवार्य होगा। 4. मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 में दिनांक 21 अगस्त, 2015 को किये गये सँशोधन अनुसार शासन मद में प्रचलित गाईड लायन के मान से निर्धारित राशि जमा करने के उपरांत ही विकय संपादित किया जायेगा। सदस्य	

4. यहकि, माननीय [illegible] अनुमति प्रदान की है इसलिये समान प्रकृति व समान नेचर ,का होने से उक्त भूमि विकय की अनुमति की आवश्यकता है।